

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1

रु० 18.00 लाख विद्युत कर (Electric Duty) के रूप में परिहार्य (Avoidable) व्यय किया जाना।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2006-07 से 2016-17 तक रु० 1800436.31 का परिहार्य भुगतान विद्युत कर के रूप में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उ०प्र० को किया गया है।

विवरण निम्नवत् है:

वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10	
माह	विद्युत कर की धनराशि	माह	विद्युत कर की धनराशि	माह	विद्युत कर की धनराशि	माह	विद्युत कर की धनराशि
4/06	000.00	04/07	000.00	04/08	240.90	04/09	1109.40
5/06	000.00	05/07	400.50	05/08	382.50	05/09	000.00
06/06	000.00	06/07	000.00	06/08	510.00	06/09	844.80
07/06	000.00	07/07	000.00	07/08	445.00	07/09	1636.20
08/06	000.00	08/07	458.70	08/08	428.00	08/09	1258.50
09/06	000.00	09/07	000.00	09/08	543.90	09/09	658.50
10/06	000.00	10/07	000.00	10/08	663.30	10/09	315.00
11/06	000.00	11/07	566.00	11/08	33.60	11/09	571.50
12/06	000.00	12/07	405.00	12/08	1192.20	12/09	658.50
01/07	426.00	01/08	496.20	01/09	644.10	01/10	556.20
02/07	432.00	02/08	316.20	02/09	688.50	02/10	2666.40
03/07	332.40	03/08	244.50	03/09	522.30	03/10	000.00
वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14	
माह	विद्युत कर की धनराशि	माह	विद्युत कर की धनराशि	माह	विद्युत कर की धनराशि	माह	विद्युत कर की धनराशि
04/10	1423.80	04/11	000.00	04/12	2994.90	04/13	30111.02
05/10	2653.80	05/11	2855.44	05/12	2669.10	05/13	43253.12
06/10	1516.20	06/11	000.00	06/12	1385.70	06/13	28209.96
07/10	853.50	07/11	1410.00	07/12	3366.60	07/13	39964.76
08/10	1972.50	08/11	1815.30	08/12	1905.00	08/13	40046.54
09/10	3602.40	09/11	1334.40	09/12	2046.60	09/13	42017.88

10/10	1525.50	10/11	1438.50	10/12	38152.94	10/13	37584.25
11/10	1437.30	11/11	993.30	11/12	37676.77	11/13	34243.23
12/10	1224.00	12/11	1504.20	12/12	42226.45	12/13	31296.99
01/11	00.00	01/12	567.90	01/13	26266.65	01/14	35456.42
02/11	727.80	02/12	1897.80	02/13	31685.14	02/14	37785.52
03/11	487.50	03/12	1478.10	03/13	39597.26	03/14	41689.55

वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17			
मह	विद्युत कर की धनराशि	मह	विद्युत कर की धनराशि	मह	विद्युत कर की धनराशि		
04/14	36811.13	04/15	16827.67	04/16	21891.50		
05/14	33533.02	05/15	20671.38	05/16	18613.39		
06/14	36792.77	06/15	19370.11	06/16	15829.21		
07/14	37488.53	07/15	19578.48	07/16	71295.84		
08/14	49212.71	08/15	23658.52	08/16	42338.73		
09/14	49650.12	09/15	22939.57	09/16	42620.36		
10/14	69597.58	10/15	23007.40	10/16	43695.75		
11/14	39752.74	11/15	15957.40	11/16	35093.40		
12/14	26866.17	12/15	16552.99	12/16	28226.60		
01/15	24543.44	01/16	17006.02	01/17	30273.56		
02/15	19640.07	02/16	17338.67	02/17	31233.32		
03/15	17422.47	03/16	10382.87	03/17	29724.43		

विवरण में अंकित सम्पूर्ण धनराशियों का योग रू0 1800436.31 है, इकाई द्वारा इस धनराशि का भुगतान विद्युत कर के रूप में P V V N Ltd. U.P. को किया गया है जोकि परिहार्य (Avoidable) था।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार का प्रत्येक विभाग विद्युत बिल में विद्युत कर से छूट प्राप्त है; क्योंकि

As per Article 287 of Constitution of India regarding exemption from taxes on electricity; Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no law of a State shall impose, or authorize the imposition of, a tax on the consumption or sale of electricity (whether produced by a Government or other persons) which is

- consumed by the Government of India, or sold to the Government of India for consumption by that Government; or
- consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that

29
railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway,

and any such law imposing, or authorizing the imposition of a tax on the sale of electricity shall secure that the price of electricity sold to the Government of India for consumption by that Government, or to any such railway company as aforesaid for consumption in the construction maintenance or operation of any railway, shall be less by the amount of the tax than the price charged to other consumers of a substantial quantity of electricity.

भारतीय संविधान के उपर्युक्त अनुच्छेद 287 के प्रावधानों को संदर्भित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा परिहार्य विद्युत कर के भुगतान के सम्बन्ध में इकाई को इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया कि विद्युत कर के रूप में परिहार्य भुगतान की धनराशि के समायोजन/ वापसी के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को पत्र दिनांक 26.03.2018 प्रेषित कर दिया गया है; उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त समायोजन अथवा धनराशि की वापसी नहीं हो सकी है।

अतएव प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

विषय : भाग-2 (ब), प्रस्तर -1, रूपये 18,00,000 विद्युत कर के रूप में परिहार्य व्यय किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में ज्ञात कराना है कि जैसे ही लेखा परीक्षा दल के द्वारा परिहार्य विद्युत कर के सम्बन्ध में संस्थान को इंगित किया गया, संस्थान द्वारा तुरंत ही धन राशि के समायोजन/वापसी के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उ०प्र० को पत्र दिनांक 23-03-2018 को प्रेषित कर दिया गया तथा वितरण निगम के अधिकारियों से संपर्क किया गया (प्रतिलिपि सलग्न)। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उ०प्र० के कार्यालय ज्ञापन पत्रांक 2604/वि०वि०ख०वा०, दिनांक 26-03-2018 के अनुसार उपरोक्त धनराशी का समायोजन अग्रिम बिलों में समायोजित करने व अग्रिम बिलों को विद्युत कर से मुक्त रखने के आदेश निर्गत कर दिये हैं। परिणामतः माह अप्रैल व मई के विद्युत बिल (कुल रूपये 16,36,183) को उपरोक्त वसूले गये विद्युत कर की धन राशि से समायोजित कर दिया गया है, बची हुई धन राशि को अग्रिम बिलों में समायोजित कर दिया जायेगा।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त प्रस्तर को निस्तारित माना जाये ।